संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवम्बर, 2018 को हुई चर्चा में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण।

1. संविधान दिवस मनाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ''**संवैधानिक अपेक्षाओं के आलोक में देश की उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण** (Critical Analysis of the Achievement of the country in the light of Constitutional Expectations)'' विषय पर आयोजित की जा रही पैनल चर्चा में भाग लेते हुए मुझे हर्ष हो रहा है।

2. मित्रो! यह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश ने संविधान के सफल कार्यान्वयन के 70वें वर्ष में प्रवेश का महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर लिया है। हम सब अवगत है कि आजादी के बाद संविधान निर्माण के लिए बनी संविधान सभा ने आज ही के दिन 26 नवम्बर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे संविधान के निर्माण में संविधान की Drafting Committee के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर एवं अन्य प्रमुख सदस्यों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी तथा अनेकानेक सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह दिन उन सभी की विद्वता, दूरदृष्टि एवं लोकतांत्रिक सोच के प्रति राष्ट्र की आदरांजलि है।

3. हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय चेतना एवं सोच में स्थापित मूल्यों, आदर्शों और जीवन–दर्शन का प्रतिबिम्ब है। इस संविधान से विभिन्न संस्थाओं एवं नागरिकों को उनके अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त होता है।

4. संविधान की Preamble में संक्षेप में दिए गए आदर्श और सिद्धांत हमारे संविधान की मूलभूत प्रकृति को निर्धारित करते हैं। Preamble यह बताता है कि हमने भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic) बनाने के लिए यह संविधान स्वयं को आत्मार्पित (dedicated to ourselves) किया और यह राज्य को प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय,

स्वतंत्रता, समानता तथा आपसी संबंधों में भाईचारा बनाये रखने का सिद्धांत प्रतिपादित करता है।

5. हमारे संविधान ने कानून का राज स्थापित किया और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशा का निर्धारण किया। संविधान में निहित अवधारणाओं से सामाजिक लोकतंत्र का ताना–बाना मजबूत हुआ जिसने राजनैतिक लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान किया और सुदृढ़ बनाया।

6. The main features of our Constitution include Parliamentary form of Governance, Fundamental Rights, Directive Principles, Secularism, Federalism, Independent Judiciary, Judicial Review, Equality before Law. The Constitution adheres to principles of social justice with a strong moral foundation. संविधान का मूल संरचना सिद्धांत कई वर्षों में विकसित हुआ है और इसमें कई विशेषताओं को धीरे–धीरे शामिल किया गया है, जिसके साथ राज्य के किसी भी अंग द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हमारे संविधान की विशेषता है कि यह बदलते हुए समय के अनुरूप ढलने योग्य है और विशेष रूप से अपनी मूल प्रकृति में अपरिवर्तनशील है।

7. हमारे संविधान को स्वीकार करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने नए गणराज्य के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के दायित्वों का मूल्यांकन दैनिक और नियतकालिक (periodically), दोनों आधारों पर होता है। दैनिक मूल्यांकन संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नों, संकल्पों, अविश्वास प्रस्तावों और स्थगन प्रस्तावों पर वाद–विवाद के माध्यम से किया जाता है। नियतकालिक मूल्यांकन मतदाताओं द्वारा चुनाव के समय किया जाता है।

8. भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े एवं जीवंत लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली के केंद्र में जनता–जनार्दन है जिसने 16 आम चुनावों में अपने विवेक और बुद्धिमता से मताधिकार का प्रयोग कर सत्ता के सुचारू हस्तांतरण का मार्ग सुनिश्चित किया है और 8 बार सरकार बदली है। निस्संदेह, यह लोकतांत्रिक संविधान के सफलतापूर्ण कार्यान्वयन का प्रमाण है।

9. बढ़ी हुई राजनीतिक सक्रियता से अब तक उपेक्षित रहे वर्गों के हितों और आकांक्षाओं को प्रमुखता मिली है। क्षेत्रीय और राज्य आधारित दलों की उपस्थिति से हमारी

राज्य व्यवस्था की संघीय विशेषता और बढ़ी है और अनेकता में एकता कायम रखने में मदद मिली है। गठबंधन सरकारों के सफलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न करने से हमारी राजनीतिक परिपक्वता का पता चलता है।

10. आज हमारे यहां एक स्वतंत्र और सक्रिय न्यायपालिका, राजनीतिक दलों की सशक्त प्रणाली, सतर्क मीडिया और सजग सिविल सोसाइटी है। हमारे लोकतंत्र में एक प्रभावी निर्वाचन आयोग, स्वायत्त संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (CAG) जैसी अनेक संस्थाएं हैं। शासन प्रणाली पर इनके संस्थागत प्रभाव के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है।

11. कोई भी देश जिन मूल्यों को प्रतिपादित करता है, उसकी पहचान उसके संविधान से होती है और यह गर्व की बात है कि जब हम विदेश में जाते हैं तो भारत के जीवंत लोकतंत्र, उत्कृष्ट संविधान एवं संवैधानिक व्यवस्था के कारण हर जगह हमें प्रशंसायुक्त सम्मान प्राप्त होता है।

12. हमारी आजादी के सात दशकों में हमारी संसद की राष्ट्र की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश में सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के रूप में संसद, समाज और देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु क़ानून बनाकर संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य करती रही है। हमारी संसद द्वारा बनाए गए प्रगतिशील विधानों (progressive legislation) के माध्यम से हमने जड़ें जमा चुके सामाजिक भेदभाव, आर्थिक पिछड़ेपन और राजनीतिक मतभेदों की समस्या का समाधान करने में काफी सफलता हासिल कर ली है।

13. हमारे संविधान में हमारे लोकतंत्र के मूलभूत आधार के रूप में सशक्त संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तीन अंग–विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राज्य के तीनों अंगों को सत्ता के प्रतिस्पर्धी केंद्र नहीं बल्कि समन्वित रूप से सहयोगी के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का सामंजस्य हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सभी का यह कर्त्तव्य है कि वे आपस में एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करें, वे अपनी–अपनी मर्यादाएं समझें एवं अपने संवैधानिक दायरे में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए परस्पर एक–दूसरे का समुचित सम्मान करें। देश के तीव्र गति से प्रगति करने का यह अत्यन्त उत्तम मार्ग है।

14. जब हमने इस महान संविधान को अपने–आपको आत्मसमर्पित किया तो उस वक्त मन में कुछ आशाएं, आकांक्षाएं थीं तथा आज हमारा संविधान नागरिकों एवं देश की उन आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। आशाओं, आकांक्षाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच अन्तर या मतभेद हो सकते हैं लेकिन मेरे मत में इसके लिए संविधान की अपेक्षा शासन व्यवस्था, जिसमें राजनीतिक दल, प्रशासनिक मशीनरी, न्यायपालिका एवं सामाजिक अनुशासन का अभाव आदि जैसे मुख्य कारक सम्मिलित हैं, अधिक उत्तरदायी हैं।

15. संविधान की मुख्य उपलब्धियों में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि हमने rule of law establish किया है और equality before law के सिद्धान्त को मूल आधार माना है।

16. संविधान निर्माताओं ने देश में बिना किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक विभेद किए सभी के लिए वयस्क मताधिकार (Adult Franchise) की व्यवस्था की और सभी के वोट का समान मूल्य रखा। इस प्रावधान ने वंचित वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया और नागरिकों की संविधान से आशाओं–अपेक्षाओं को फलीभूत किया।

17. सामाजिक न्याय पर संविधान निर्माताओं ने बहुत बल दिया और इसके लिए सकारात्मक तरफदारी (Positive Discrimination) की व्यवस्था की। इसी का परिणाम है कि देश से untouchability लगभग समाप्त हो गई है और इसमें संसद, न्यायपालिका, समाज–सुधारकों एवं धर्म–प्रवर्त्तकों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

18. हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकारों एवं अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे देश के सबसे बड़े न्यायालय में जाने की व्यवस्था है। हमारे संविधान में वर्णित राज्य के Directive Principles का उद्देश्य न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और इसकी रक्षा करना है। सामाजिक समरसता की अनोखी दृष्टि और सर्व धर्म समभाव के विशेष प्रावधान हमारे संविधान में हैं।

19. हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं जिन्होंने हमारे जीवन पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डाला है:–

(i) Article 14 – समानता का अधिकार

(ii) Article 15 & 16 - एससी/एसटी/ओबीसी एवं महिलाओं को भी आरक्षण के अवसर प्रदान किया जाना।

(iii) Article 19 (a) – Freedom of Speech and Expression –नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है।

Article 19(b) – Right to Assemble peacefully.

Article 19(c) – Freedom of Association or Union.

Article 19(d)– Freedom of movement throughout the country.

Article19(e) – Freedom to practice any profession, occupation, trade, business.

(iv) संविधान की धारा 21 (Right to life and personal Liberty) के तहत जीवन की रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके तहत किसी को भी सम्मान से जीने का अधिकार है। सभी नागरिकों को Right to Privacy दी गई है। यहां तक कि जेलों में बंद अथवा थाने में बंद मुल्जिमों के भी जीवन की रक्षा एवं वह सब अधिकार मिलते हैं जो अन्य नागरिक को मिलते हैं।

(v) संविधान की धारा 21ए के तहत Right to Education को Fundamental Right में शामिल किया गया है। इससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवर सकेगा और सुरक्षित हो सकेगा।

(vi) संविधान की धारा 25 से 28 के तहत सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

(vii) संविधान की धारा 29 एवं 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

20. इन संवैधानिक उपायों ने देश में Justice, Liberty, Equality and Fraternity के हमारे मूलभूत जीवन दर्शन को सुस्थापित किया है तथा आम जनता को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। इससे हमारे अन्दर भारतीयता की भावना एवं अपनेपन का एहसास और अधिक संपुष्ट हुआ है।

21. संविधान से प्राप्त शक्ति के आधार पर संसद एवं सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास किया जिसके फलस्वरूप आज महिलाएं देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पटल पर पूर्ण क्षमता के साथ अपना योगदान दे रही हैं।

22. कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं जो skilled human resource का सृजन कर रहे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रयोग से न केवल अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं बल्कि foodgrains का निर्यात भी कर रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धि सराहनीय रही है। अब तो मेडिकल टूरिज्म भी एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है।

23. इन सब उपलब्धियों के बावजूद हमारे लिए संतुष्ट होकर बैठने का समय नहीं है। हमारे सामने विकास संबंधी अनेक चुनौतियां हैं। आज हमें शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषाहार, बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों के कल्याण और महिलाओं की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। मैं मानती हूं कि हमारे विधायी निकायों में महिलाओं का बहुत कम प्रतिनिधित्व सबके लिए चिंता का विषय है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता भी है।

24. आर्थिक प्रगति तो बहुत तेजी से हुई है लेकिन सामाजिक स्तर पर जो जिम्मेदारी एवं अनुशासन का भाव पहले हुआ करता था, उसमें अब परिवर्तन देखा गया है। जिससे व्यक्तिगत हित सर्वोपरि होते दिख रहा है और सामूहिक हित पृष्ठभूमि में चला गया है।

25. डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने शुद्ध चरित्र और निष्ठा के मार्ग पर चलकर राष्ट्र–निर्माण की परिकल्पना की थी। उन्होंने कहा था– “Whatever the Constitution may or may not provide, the welfare of the country will depend upon the way in which the country is administered. That will depend upon the men who administer it. If the people who are elected are capable and men of character and integrity, they would be able to make the best even of a defective Constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country.”

26. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सर्वसम्मति का बहुत महत्व होता है। इसके लिए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक–दूसरे के साथ बातचीत करने और जनता–जनार्दन की समस्याओं का समाधान एवं राष्ट्र निर्माण करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं, संसद भवन में उल्लेखित कई ऋचाओं में से एक ऋचा, जो सर्वसम्मति के बारे में है, को उद्धृत करना चाहती हूं:–

''समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ।।''

(इसका अर्थ है– हमारा संकल्प एक हो, हम निर्णय सर्वसम्मति से लें, हमारी आशाओं–आकांक्षाओं में समानता हो, हमारी चेतना सद्भाव से भरी हो, हमारी प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो, और हमारी आहुति भी सबके कल्याण के लिए हो।)

धन्यवाद।

––––––